रजिस्ट्री सं० डी० 221

REGISTERED No. D. 221

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग III—खण्ड 2
PART III—Section 2
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 3] नई दिल्ली, मंगलवार, सितम्बर 18, 1973/भाद्र, 27, 1895

No. 3] NEW DELHI, TUESDAY, SEPTEMBER 18, 1973/BHADRA, 27, 1895

14 7 1973

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 1xth September 1973

No. UI-326(29)/72.—In exercise of the powers conferred by **Section** 3 **of** the **United Nations** (Privileges and Immunities) Act, 1947 (46 of 1947), the **Central Government** hereby declare that the section 7 of the Schedule to the said Act **has been** modified as specified below:—

MODIFICATION

In section 7 of the Schedule to the United Nations (Privileges and Immunities) Act, 1947, the following provision should be incorporated:—

(d) exempt from payment of misuse charges that may be levied by the Land and Development Officer or such other Officer responsible for the administration of the leases for the properties concerned, for reasons of the conversion of a residential building to its use for official or commercial purposes. The United Nations, the United Nations bodies, the Specialized Agencies of the United Nations and other International Organizations, to which the provisions of the United Nations (Privileges and Immunities) Act, 1947 have been extended should, as far as possible, not undertake to pay such misuse charges in any lease/rental agreement which they may negotiate in respect of properties proposed to be hired by them in India.

The exemption from payment of such misuse charges shall not be applied retrospectively to cases where such misuse charges have already been paid by the Organizations mentioned above before the date of the present Notification.

AVTAR SINGH, Secy.

विदेश मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 14 सितम्बर, 1973

सं० यू आई-326 (29)/72.—संयुक्त राष्ट्र संघ (विशेषाधिकार एवं उन्मुक्तियां) अधिनियम, 1947 (1947 का 46वां) की धारा 3 के अधीन प्रदत्त अधिकारों का उपयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा घोषणा करती है कि उपरोक्त अधिनियम की अनुसूची की धारा 7 में निम्नलिखित संशोधन किया गया है।

संशोधन

संयुक्त राष्ट्र संघ (विशेषाधिकार एवं उन्मुक्तियां) अधिनियम, 1947 की अनुसूची की धारा 7 में निम्नलिखित उपबन्ध और जोड़े जांय :—

(घ) किसी आवासी भवन को कार्यालयी अथवा व्यापारिक प्रयोग के लिए परिवर्तित करने के कारण, भूमि और विकास अधिकारी या संबद्ध सम्पत्तियों के पट्टे संबंधी प्रशासन के लिए उत्तरदायी किसी अधिकारी द्वारा लगाए गए दुरुपयोग प्रभार से छूट। संयुक्त राष्ट्र संघ, संयुक्त राष्ट्र निकाय, संयुक्त राष्ट्र की विशिष्ट एजेन्सियों और अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठनों जिन पर संयुक्त राष्ट्र (विशेषाधिकार एवं उन्मुक्तियां) अधिनियम 1947 की व्यवस्थाएं लागू की जा चुकी हैं, को भारत में उन के द्वारा किराये पर ली जाने वाली सम्पत्तियों से संबंधित पट्टे। किराए के समझौतों में इस प्रकार के दुरुपयोग —प्रभार अदा करने की जिम्मेदारी यथा संभव नहीं लेनी चाहिए।

इस प्रकार के दुरुपयोग प्रभारों की अदायगी से यह छूट पूर्व व्याप्त नहीं होगी और यह उन मामलों में लागू नहीं होगी जिन में उपरोक्त संगठनों द्वारा वर्तमान अधिसूचना की तारीख से पूर्व ही दुरुपयोग प्रभार अदा किए जा चुके हैं।

अवतार सिंह, सचिव।

PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1973